न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0
बईजलास श्री राजेश डागा आर.ए.एस.

मुकृन. 35/2019

रामप्रसाद पुत्र किशनलाल जाति धाकड निवासी बालूहेडा तहसील कनवास जिला कोटा।
–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।
– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट

उपस्थित –

वादीनी की आरे से– विद्वान अधिवक्ता श्री रेवतीरमण नागर एडवोकेट।
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार कनवास।

निर्णय

दिनांक– 08.09.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत 88 आर.टी.एक्ट. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के शामलाती खाते की आराजी माल ग्राम बालूहेडा पटवार हल्का बालूहेडा की तहसील कनवास में निम्न आराजी थी, जिसके बन्दोबस्त सम्वत 2058 से 2077 में निम्न प्रकार नये नम्बर बने।

नये नम्बर	रकबा है0, में	गत खसरा नबंर	रकबा
502	0.04	508 के 180 मि0	12 बीघा 19 बिस्वा
508	2.03	190 मि0	–
506	0.05	186	07 बिस्वा

यह कि वादीगण 03 भाई है क्रमशः सूरजमल, छीतरलाल, रामप्रसाद पुत्रान किशनलाल जो जमाबन्दी सम्वत 2034 से 2037 में स्पष्ट है, उक्त जमाबन्दी में वादी का नाम रामप्रसाद पुत्र किशलाल दर्ज है, जिसमें वादी के अन्य 02 भाईयों के साथ तीनों भाईयों का हिस्सा 1/2 में दर्ज रिकार्ड है, तथा अन्य सहखातेदार है उनका नाम भी 1/2 हिस्सा में दर्ज रिकार्ड है, इसके बाद उक्त खाते में वादी का नाम राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि के कारण रामप्रसाद पुत्र किशनलाल के स्थान पर रामप्रताप पुत्र किशनलाल दर्ज कर दिया गया है, जबकि वादी का नाम वास्तव में रामप्रसाद ही है, वाद पत्र के पेरा नबंर 01 में वर्णित खसरा नबंर जो बन्दोबस्त से पूर्व की जमाबन्दी सम्वत 2034 से 2037 में दर्ज है उक्त जमाबंदी में भी वादी का नाम रामप्रसाद पुत्र किशनलाल दर्ज है तथा उसी जमाबंदी के खसरा नबंर 190 व 186 के नये खसरा नम्बर जो बन्दोबस्त 2058 से 2077 में बनाये गये वही नम्बरोंकी जमाबन्दी में वादी का नाम अन्य सहखातेदारों के साथ रामप्रताप पुत्र किशनलाल दर्ज किया हुआ है जो गलत है, वादी को उक्त

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

मुदई		रुपया	पै.	मुदायलाह		रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	....	------NIL------		स्टाम्प वकालतनामा	....	------NIL------	
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....						
महनताना वकील	....			महनताना वकील	....		
खर्चा गवाहान	....			खर्चा गवाहान	....		
फीस कमिश्नर	....			फीस कमिश्नर	....		
बाबत इजराय हुकमनामा	....			बाबत इजराय हुकमनामा	....		
मुतफर्रिक	....			मुतफर्रिक	....		
मीजान	....			मीजान	....		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

राजेश वर्मा (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

लत नाम की वजह से कई परेशानियों का सामना करना पडता है तथा किसानक्रेडिट कार्ड में भी उक्त आराजी नाम की भिन्नता के कारण नहीं हुड पा रही है, इस कारण वादी को जरूरत के मुताबिक ऋृण सुविधा नहीं मिल पा रही है इसे दुरूस्त करवाने हेतु वादी का माननीय न्यायालय में वाद पेश करना आवश्य हो गया है।

वादी द्वारा वाद पत्र में अपने अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी के शामलाती खाते की आराजी माल ग्राम बालूहेडा तहसील कनवास के खसरा नबंर 507 रकबा 0.05 है0, खसरा नबंर 508 रकबा 2.03 है, किता 02 की 2.08 है0, आराजी इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री पारित की जाकर खाते में वादी का नाम रामप्रताप पुत्र किशनलाल के स्थान पर रामप्रसाद पुत्र किशनलाल दर्ज किये जाने हेतु डिक्री सादिर पारित की जाने की कृपा करें।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलवी जारी की गई। प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रामप्रसाद का नाम जमाबन्दी सम्वत 2034–37 में रामप्रसाद दर्ज था परन्तु वर्तमान जमाबन्दी 2073–76 में रामप्रताप दर्ज हो रहा है। अतः ग्राम बालहेडा के खसरा नबंर 507, 508 में रामप्रताप के स्थान पर रामप्रसाद करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। कोई राजहित प्रभावित नहीं है।

हमारे द्वारा जवाब सरकार व जमाबंदी सम्वत 2034–37 का अवलोकन किया जिसमें वादी का नाम रामप्रसाद दर्ज है एवं वर्तमान जमाबन्दी 2073–76 में रामप्रताप दर्ज हो गया है। अतः जवाब सरकार व संलग्न दस्तावेजों के आधार पर हम ग्राम बालूहेडा के खसरा नबंर 507 व खसरा नबंर 508 कुल किता 02 की रकबा 2.08 है0, में वादी का नाम राप्रताप के स्थान पर रामप्रसाद दर्ज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम बालहेडा के खसरा नबंर 507 की रकबा 0.05 है0, व खसरा नबंर 508 की रकबा 2.03 है0, कुल किता 02 की रकबा 2.08 है0, आराजी में इन्द्राज दुरूस्ती कर खाते में वादी का नाम रामप्रताप पुत्र किशनलाल के स्थान पर रामप्रसाद पुत्र किशनलाल शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश आज दिनांक 08.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

राजेश डागा (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा **R.A.S.** उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

रामप्रसाद पुत्र किशनलाल जाति धाकड निवासी बालूहेडा तहसील कनवास जिला कोटा।

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट

मुकंदमा नं. **35/19** सन **2019** तारीख फैसला **08.09.2020** **न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी एडवोकेट **श्री रेवती रमण नागर वादी** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम बालहेडा के खसरा नबंर 507 की रकबा 0.05 है0, व खसरा नबंर 508 की रकबा 2.03 है0, कुल किता 02 की रकबा 2.08 है0, आराजी में इन्द्राज दुरूस्ती कर उक्त खाते में वादी का नाम रामप्रताप पुत्र किशनलाल के स्थान पर रामप्रसाद पुत्र किशनलाल शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... **X** ...मुबलिग .... **X** ...बाबत ... **X** ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... **X** ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X** ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **08.09.2020** माह सितम्बर 2020 को जारी की गई।

मोहर ....

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी (राज0)
कनवास